

6
done

प्रेषक,

एल० वैकटेश्वर ल०
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर।

राजस्व अनुभाग-10

०५
लखनऊः दिनांक : अक्टूबर 2013

विषय वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु
राज्य आपदा मोदक लिखि से धनराशि का धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-306-1/सी0आर0ए0/दैवी आपदा/बाढ़/2013-14, दिनांक 07-09-2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद सहारनपुर में वर्ष 2013-14 में बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की पुनर्स्थापना हेतु सिंचाई निर्माण खण्ड सहारनपुर द्वारा प्रस्तुत कार्यों/परियोजनाएं जो जिला स्तरीय आपदा राहत समिति द्वारा अनुमोदित हैं के परिपेक्ष्य में ₹ 0 10.00 लाख तक की लागत के कार्यों को छोड़कर, मांगी गयी/आंकित कुल धनराशि ₹ 0 4,11,29,000/- के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात् निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवर्ण्यों के अधीन निम्न विवरण के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष 2013-14 में कुल धनराशि ₹ 0,56,45,000/- (कुल रूपये दो करोड़ पाँच लाख चौंसठ हजार पाँच सौ मात्र) आपके निर्वातन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

| क्र० सं० | कार्य का नाम | अनुमानित लागत/मांगी गयी धनराशि (₹० में) | स्वीकृत धनराशि (₹० में) |
|----------|---|---|-------------------------|
| 1 | एपोच रोड तटबन्ध के किमी 0 1:900 पर क्षतिग्रस्त बन्ध की पुनर्स्थापना का कार्य। | 16,30,000 | 8,15,000 |
| 2 | जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के दांये किनारे पर स्थित डिक्का टपरी के स्टड संख्या-04 (सी0आर0एफ0) के पीछे व कटाव रोकने हेतु लोग की पुनर्स्थापना/मरम्मत का कार्य। | 16,94,000 | 8,47,000 |
| 3 | जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के दांये किनारे पर स्थित डिक्का टपरी के स्टड संख्या-04 व स्टड संख्या-06 के मध्य कटाव रोकने हेतु 04 लग कटर की पुनर्स्थापना। | 15,09,000 | 7,54,500 |

सहारनपुर के रु 10:00 लाख तक की लागत के अव्य अवशेष कार्यों, अन्य कार्यदारी विभागों द्वारा प्रस्तुत किये गये कार्यों/परियोजनाओं के परिप्रेक्ष्य में अधेत्तर आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

मंचटीय
(एल) वैकटेश्वर ल/
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- ३२१५(1)/१-१०-२०१३, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, ३०प्र०।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी सहारनपुर।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-५
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-१०/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, ३०प्र० शासन।
- 10- गाँड़ फाइल।

आज्ञा द्वारा
(अनिल कुमार बाजपेई)
उप सचिव।

करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रक्रिया के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों को परियोजनाओं में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जोगा।

6- उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

7- कलिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एकमुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इति श्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सटुपयोग सुनिश्चित कराना व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण संजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाय।

8- राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेख रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा०-11, दिनांक 20-06-2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फ़ीड करवाना सुनिश्चित किया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपयोग/समर्पण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-य०ओ०-2/1-11-2013-रा०-11, दिनांक 04-03-2013 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई व्यवहार/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे वित्तीय वर्ष के समाप्त/दिनांक 31 मार्च, 2014 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।

9- उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एवं के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।

10- व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

11- इस सम्बन्ध में मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि विषयगत मामले में शासकीय पत्र संख्या-2906/1-10-2013-12(36)/13, दिनांक 12 सितम्बर, 2013 द्वारा वांछित सूचना/आड्या/प्रपत् शासन को अतिशीघ उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि सिंचाई निर्माण खण्ड

| | | | |
|----|--|-----------|-----------|
| 4 | जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के दाँये किनारे पर स्थित डिक्का टपरी के स्टड संख्या-04, 05 व 06 के मध्य एवं डाउन स्टीम में क्षतिग्रस्त टोवाल की पुनर्स्थापना का कार्य। | 25,33,000 | 12,66,500 |
| 5 | एपोच रोड तटबन्ध पर स्पर संख्या-05 मानपुर की पुनर्स्थापना का कार्य। | 21,05,000 | 10,52,500 |
| 6 | ब्लाक सढ़ौली कटीम के गाम नलियारी में यमुना नदी के बाँये किनारे पर बाढ़ निरोधक कार्यों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य। | 42,26,000 | 21,13,000 |
| 7 | ब्लाक सढ़ौली कटीम के गाम धौलरा में यमुना नदी के बाँये किनारे पर धौलरा बन्धे के कटाव एवं बोल्डर एवं सीओसीO स्टड की मरम्मत का कार्य। | 12,36,000 | 6,18,000 |
| 8 | ब्लाक सढ़ौली कटीम के गाम दबकोरा गांगरो राव के यमुना नदी के बाँये किनारे पर बाढ़ निरोधक कार्यों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य। | 24,14,000 | 12,07,000 |
| 9 | ब्लाक सढ़ौली कटीम के गाम चाटकी में मसकरा राव के दाँये किनारे पर बाढ़ कार्यों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य। | 17,32,000 | 8,66,000 |
| 10 | ब्लाक सढ़ौली कटीम के गाम उसण्ड में गांगरो राव के बाँये किनारे पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य। | 26,20,000 | 13,10,000 |
| 11 | ब्लाक सढ़ौली कटीम के गाम हिन्दुवाला में बड़कला राव के बाँये किनारे पर बाढ़ निरोधक कार्यों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य। | 12,21,000 | 6,10,500 |
| 12 | ब्लाक सढ़ौली कटीम के गाम जन्धेड़ी में गांगरो राव के बाँये किनारे पर बाढ़ निरोधक कार्यों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना का कार्य। | 10,24,000 | 5,12,000 |
| 13 | जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के बाँये किनारे स्थित गाम टोडरपुर भूकड़ी में स्टड संख्या-2 की पुनर्स्थापना का कार्य। | 46,58,000 | 23,29,000 |
| 14 | जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के बाँये किनारे स्थित गाम टोडरपुर भूकड़ी में स्टड संख्या-3 की पुनर्स्थापना का कार्य। | 46,58,000 | 23,29,000 |
| 15 | जनपद सहारनपुर में यमुना नदी के बाँये किनारे स्थित गाम टोडरपुर भूकड़ी में स्टड संख्या-2 की पुनर्स्थापना का कार्य। | 31,36,000 | 15,68,000 |

| | | | |
|----|--|-------------|-------------|
| | तटबन्ध से जोड़ने हेतु लोग की पुनर्स्थापना का कार्य। | | |
| 17 | जनपद सहरनपुर में विकास खण्ड सढौली कदीम के गाम बहादरा एवं रावणपुर में गांगरी राव के दोनों किनारों पर बाढ़ सुरक्षा कार्यों की पुनर्स्थापना का कार्य। | 15,97,000 | 7,98,500 |
| | योग | 4,11,29,000 | 2,05,64,500 |

2- उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय -42-अन्य व्यय " के नामे डाला जायेगा ।

3- बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अहं एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्थितियों की आगामी वर्षों के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद्दत में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय नियंत्रणों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिलाधिकारी द्वारा पुनः यह भी देख लिया जाय कि सन्दर्भित कार्यों के परिप्रेक्ष्य में आगणन की जांच सक्षम स्तर पर कर ली गयी है तथा वह समस्त मानकों को पूर्ण करते हैं। शासनादेश संख्या-2660/1-10-2012-रा0-10-33(171)/2012, दिनांक 25-10-2012 द्वारा दिये गये निर्देशानुसार तात्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु प्रस्तावों/कार्यों में किसी अन्य विभाग से धनराशि प्राप्त न होने का कार्यदायी विभाग से प्रमाण पत्र प्राप्त करते हुये ही अवमुक्त धनराशि व्यय की जाय। स्वीकृत कार्यों की गुणवत्ता के साथ पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कार्यदायी विभाग/जिलाधिकारी का होगा। प्राक्कलित लागत के सापेक्ष वास्तविक आंकलित लागत का ही धनावंटन किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि का व्यय शा0प0स0-78/पीएसआर/2012, दिनांक 24-01-2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-एनडीएम-1, दिनांक 16-01-2012 में भारत सरकार की गाड़ लाइंस में निर्धारित एवं अहं मानक मद्दों एवं शासनादेश संख्या 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14-10-2011 के अनुसार किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त शासन के पत्र संख्या-317/1-11-2013, दिनांक 21-06-2013 को संलग्न किया गया है, जिसमें कई मानक मद्दों की दरों में संशोधन किया गया है, जो दिनांक 01-03-2013 से प्रभावी हैं, का भी अनुपालन किया जायेगा।

5- बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिस्थितियों की तात्कालिक मरम्मत/रेस्टोरेशन की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप से पूर्ण कर लिया जाये। राज्य आपदा मोर्चक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त